कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात

पत्रांक– / जू0हा0स्कूल मान्यता / 17279-84 / 2018–19 दिनांक 28/11/18

प्रबंधक,

बी0के0एस0डी0 ग्लोबल स्कूल अहरौली शेख अल्लापुर रोड पुखराया कानपुर देहात।

द्वारा संचालित संस्था–ज्योति सेवा समिति 883 डब्ल्यू 2 वसन्त विहार नौबस्ता कानपुर नगर।

विषय :– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4)के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्रांक / जूहा0स्कूल मान्यता / 3346–50 / 2018–19 दिनांक 28,06,2018 द्वारा निर्गत मान्यता आदेश मे विद्यालय का नाम बी0के0एस0डी0 ग्लोबल स्कूल पुखरायॉ विकास खण्ड अमरौधा कानपुर देहात के स्थान पर संशोधित नाम बी0के0एस0डी0 ग्लोबल स्कूल अहरौली शेख अल्लापुर रोड पुखरायॉ कानपुर देहात पढा जाय।

शासनादेस सं0– 419 / 79–6–2013–18(20) / 91 दिनांक 08.05.2013 में निर्दिष्ट कार्यक्रम एवं निर्देशों के आलोक में अग्रेजी माध्यम से उच्च प्राथमिक स्तर की मान्यता हेतु आपके आवेदन पत्र और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार तथा अधिकारी के निरीक्षणोंपरान्त उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या के आलोक में मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 20.06.2018 को लिये गये निर्णय के आधार पर बी0के0एस0डी0 ग्लोबल स्कूल अहरौली शेख अल्लापुर रोड पुखरायॉ कानपुर देहात को 2018–19 से तीन शैक्षिक सत्र हेतु कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिये अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किये जाने के अध्याधीन है–

1–.विद्यालय का संचालन अग्निशमन का पूर्णता प्रमाणपत्र / स्थायी प्रमाण पत्र एवं वार्षिक नवीनीकरण प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाये अन्यथा असुरक्षित भवन का उपयोग विद्यालय संचालन हेतु अवैधानिक होगा।

2–.मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नही है, और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता / सम्बन्धन करने के लिये कोई बाध्यता नही है।

3–.विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 1) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबंध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।

4–.विद्यालय प्रारंभिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस पडोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा। और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा,उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।

5–.पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा–12 की उपधारा(2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिभूतियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।

6–.सोसायटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा, और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्यधीन नही करेगा।

7–.विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नही करेगा, और वह अधिनियम की धारा–15 के उपबंधो का पालन करेगा।

विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा–

क. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्चप्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।

ख. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही करेगा।

ग. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।

घ. उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।

ङ. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःसत्यता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

च. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और की विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नही है, 5 वर्ष की अवधि के भीतर न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।

छ. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक स्वयं किसी को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नही करेंगे।

ज.विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

8–विद्यलय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।

9–.विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधायें निम्नानुसार हैं।

कम सं0	विद्यालय में उपलब्ध प्रसुविधायें	विवरण
1	विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	8113.29 वर्ग मीटर
2	कुल निर्मित क्षेत्र	798.33 वर्ग मीटर
3	कीडास्थल का क्षेत्रफल	–
4	कक्षाओं की संख्या	10

RAJEEV MIS 2018 /MANYTA

28.11.18

28/11/18

5	प्राध्यापक–सह कार्यालय–सह भण्डारागार के लिये कक्ष	04
6	बालक/बालिकाओं के लिये पृथक शौचालय	01/01
7	पेयजल सुविधा	सबमर्सिबल उपलब्ध है।.
8	बाधारहित पहुँच	उपलब्ध है।
9	अध्यापक पठन सामग्री/कीडा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालयों की उपलब्धता	उपलब्ध है।

10.विद्यालय के परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षायें नही चलाई जायेगी।

11.विद्यालय भवनों या संरचनाओं या कीडास्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

12.विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी के द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधी के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

13.स्कूल को किसी व्यष्टि,व्यष्टियों के समूह या संगम या किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।

14.विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्प्रीक्षा की जानी चाहिये। और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये, तथा उचित लेखा विवरण, नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये।प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष, जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।

15. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक जू0हा0 स्कूल/हिन्दी माध्यम/2018–19/......... है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।

16.विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता है, जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो, और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिये अनुदेशों का पालन करता है। जो मान्यता संबंधी शर्तो के शतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्य करण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किये जाये।

17.सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो तो सुनिश्चित किया जाये।

18.संलग्न उपालब्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

19.विद्यालय में शिक्षण कार्य टी0ई0टी0 उत्तीर्ण शिक्षकों से ही कराया जाये, तथा यदि कोई तथ्य गोपन प्रबंधतंत्र द्वारा प्रस्तुत पाया गया तो विभागीय नियमों की परिधि में कार्यवाही की जायेगी, जिसके लिये वह स्वयं जिम्मेदार होगें।

28/11/18
(संगीता सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात।
28.11.18

पृ0सं0/जू0हा0स्कूल मान्यता/ /2018–19 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नॉकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– शिक्षा निदेशक (बे0)उत्तर प्रदेश निशातगंज लखनऊ।
2–सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3–मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे0)कानपुर मण्डल, कानपुर।
4–जिला समाज कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
5–अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
6–पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कानपुर देहात।
7–संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात।
8–कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
कानपुर देहात।

Madhu Sachan
MANAGER
BKSD GLOBAL SCHOOL

B.K.S.D. Global School
PRINCIPAL
Allapur Road Ahrouli Shekh, Pokhrayan